अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

IndiaCode

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) **अनुसूची-क में संशोधन**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियमों का निर्धारण) विनियम, 2008 की अनुसूची-क के पैरा 5 के उप-पैरा (8) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"(8) निवेश की गई कुल पूंजी पर प्रतिलाभ में शामिल नियत परिसंपत्ति से या प्रचालन लागत, लेकिन जिसमें बोर्ड के संगत विनियमों के अंतर्गत असंतुलन प्रबंधन सेवाएं, ब्याज आय, किसी नियत या अन्य परिसंपत्ति की बिक्री या अंतरण से हुए लाभ या हानि शामिल न हो, के रूप में लिए गए व्यय में से प्राप्त विविध आय को प्रचालन लागत माना जाएगा।"

के. राजेश्वर राव, ओएसडी(आर)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/13]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को सा.का.नि. 807(अ), दिनांक 20/11/2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 986(अ), दिनांक 20/12/2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/फाइनल टैरिफ फाइलिंग दिनांक 30/05/2012 तथा फा. सं. पीएस/सचिव/एम(सी)/2012, दिनांक 13/09/2012 द्वारा संशोधित किया गया था।

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2014

F. No. PNGRB/M(C)/48.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

 (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2014.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule A.

 For sub-para (8) of para 5 of the Schedule A of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff Regulations) Regulations, 2008, the following shall be substituted, namely:-

 "(8) Miscellaneous income realizable from a fixed asset included in the return on total capital employed or out of an expense considered as an operating cost, but not including income from imbalance management services under relevant regulations of the Board, interest income, profit or loss on sale or transfer of any fixed or other asset, shall be netted from the operating cost."

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT III/4/Exty./188/13]

Foot Note: Principal regulations were notified vide GSR 807(E), dated 20/11/2008 and subsequently amended vide GSR 986(E) dated 20/12/2010, F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing dated 30/05/2012 and F. No. PS/Secy./M(C)/2012, dated 13/09/2012.

6451G1/14-2

indiacode